

अमरेन्द्र सिंहा,
सचिव,
उत्तराचल शासन।

राज्य परियोजना निदेशक
एवं शिक्षा निदेशक उत्तराचल,
शिविर कार्यालय, देहरादून।

देहरादून, दिनांक ५ जून २००३

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्य परियोजना कार्यालय तथा जिला परियोजना कार्यालय हेतु पदों के सृजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके अर्द्ध शास्त्री पत्र सं० ७७९ / राज्यपरियोजना / २००२-२००३ दिनांक २२ जुलाई, २००२ के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महांदय "उत्तराचल शासन के लिये शिक्षा परिषद" द्वारा संचालित सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य परियोजना कार्यालय, देहरादून यथैगिन्न जिला परियोजना कार्यालयों में निम्नांकित पदों को उनके सम्मुख अधिकारियों में शासनादेश निर्गत होने अथवा विधिवत् नियुक्ति तिथि जो भी बाद में हो, से दिनांक ३१.३.२००३ तक के लिये शासनादेश में अधिकत शास्त्री के अधीन अस्थाई रूप से सृजित किये जाने की रवीकृति प्रदान करते हैं।

राज्य परियोजना कार्यालय-

क्रमसंख्या	पदनाम	घेतनामान	पदों की संख्या
1.	विदेश विशेषज्ञ	12000-16500	01
2.	विशेषज्ञ	8000-13500	01
3.	समन्वयक	6500-10500	01
4.	सह-समन्वयक	5500-8500	01
5.	रट्टनो	5000-8000	01
6.	काम्प्यूटर ऑफरेंट	5000-8000	02
	योग-		07

चमोली, रामगढ़ाग, पीड़ी, देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल एवं ऊधम सिंह नगर के जिला परियोजना कार्यालय हेतु ५६ पद (प्रति जनपद विवरण निम्नवत् है)

जिला परियोजना कार्यालय-

क्रमसंख्या	पदनाम	घेतनामान	पदों की संख्या
1.	जिला परियोजना अधिकारी (पदेन जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी)	8000-13500	01
2.	जिला समन्वयक (वालिका शिक्षा)	6500-10500	01
3.	जिला रामन्वयक (रामगढ़ागभागिता)	6500-10500	01
4.	जिला रामन्वयक (प्रशिक्षण)	6500-10500	01
5.	जिला रामन्वयक (वैकल्पिक शिक्षा)	6500-10500	01
6.	सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी	6500-10500	01
7.	काम्प्यूटर ऑफरेंट	5000-8000	01
8.	लेखाकार	5000-8000	01
	योग-		08

इन राष्ट्रीय पदधारकों का येतनादि सर्व शिक्षा अभियान परियोजना से ही आहरित किया जाएगा। इसमें समय-समय पर निर्गत किये जाने वाले शासनादेशों द्वारा येतन के अतिरिक्त महानाई भत्ता या बहुत ज्ञानों वाले भत्ते भी नियमानुसार अनुमत्य हों, देय होंगे।

उक्त पदों के सृजन पर इस शर्त के साथ सहमति दी जाती है कि पद प्रथमतः प्रतिनियुक्ति/रिडिप्लाइमेन्ट से शिक्षा विभाग में स्वीकृत पदों में से तैनाती से भरे जाएंगे तथा जिन पदों पर प्रतिनियुक्ति पर अभ्यर्थी न मिले उन पर निर्धारित अवधि के लिए अनुबन्ध कर संविदा पर रखे जाएंगे। जिससे किसी प्रकार का आवर्तक व्यय परियोजना बन्द होने के उपरान्त राज्य सरकार पर न पड़े।

4. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2002-2003 के अनुदान संख्या— ।। के अधीन लेखा शीर्षक 2202— राष्ट्रीय शिक्षा, आयोजनागत— 01, प्रारम्भिक शिक्षा— 800, अन्य व्यय 01—केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाये—0104—सर्व शिक्षा अभियान—20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य राहायता के नामे डाला जाएगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: २७६ | दि० द३०-५/२१२ दिनांक २७-१२-२००२ में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

महाराजा
(अरुण सिंह)
सचिव

संख्या: २६५(१) / ब००३० / २००३

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महालेखाकार, उत्तरांचल इलाहाबाद।
2. अपर शिक्षा निदेशक, उत्तरांचल, पौडी।
3. वित्त अनुभाग— 4
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(ज्योति जोशी)
अनुसंधान